2010:CGHC:11278

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री टी.पी.शर्मा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झांवर, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 662/2004

अपीलकर्ता (जेल में) : जीत राम

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील संख्या 663 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) : हीराधन

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील संख्या 721 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) : धनुषधारी

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील संख्या 742 / 2004

अपीलकर्तागण (जेल में) : भगत राम एवं तीन अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील संख्या 933 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) : शिवधन

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील संख्या 934 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) : सीताराम

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजेश्वर लाल झांवर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूं।

सही/
आर.एल.झांवर
न्यायाधीश

निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया

सही/
न्यायाधीश
16/02/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री टी.पी.शर्मा न्यायाधीश एवं

माननीय श्री राजेश्वर लाल झांवर, न्यायाधीश।

दांडिक अपील संख्या 662 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) जीत राम, पिता कैला राम, आयु लगभग 40 वर्ष, जाति चेरवा, निवासी ग्राम मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा , थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील संख्या 663 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) हीराधन, पिता कैला राम, आयु लगभग 25 वर्ष, जाति चेरवा, निवासी ग्राम मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील संख्या 721 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) धनुषधारी, पिता विक्रम जायसवाल, आयु 35 वर्ष, निवासी ग्राम मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील संख्या 742 / 2004

अपीलकर्तागण (जेल में) **1.** भगत राम, पिता नरसिंह चेरवा, आयु लगभग 21 वर्ष

2. नरसिंह, पिता ननका चेरवा, आयु 40 वर्ष

3. पुरुषोत्तम, पिता विक्रम जायसवाल, आयु 40 वर्ष

4. अशोक कुमार, पिता विक्रम जायसवाल, आयु 35वर्ष

सभी निवासी ग्राम - मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला - सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील संख्या 933 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) शिवधन, पिता कैला राम, आयु लगभग 30 वर्ष, जाति चेरवा, निवासी ग्राम मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील संख्या 934 / 2004

अपीलकर्ता (जेल में) सीताराम, पिता कैला राम, आयु लगभग 30 वर्ष, जाति चेरवा, निवासी ग्राम मासगा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा, थाना प्रतापपुर, जिला सुरगुजा (छत्तीसगढ़)

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपीलें

उपस्थिति:

श्रीमती संगीता मिश्रा **अधिवक्ता,** अपीलकर्ता जीत राम (दं.अ.संख्या 662/2004) **की ओर से**

श्रीमती उषा चंद्राकर **अधिवक्ता**, अपीलकर्ता हीराधन (दं.अ.संख्या 663/2004) **की ओर से**

श्रीमती शर्मिला सिंघई **अधिवक्ता**, अपीलकर्ता धनुषधारी (दं.अ.संख्या 721/2004) **की ओर से**

श्री नीरज मेहता **अधिवक्ता**, अपीलकर्ता क्रमांक 1 एवं 2 - भगत राम और नरसिंह (दं.अ.संख्या 742/2004) **की ओर से**

श्री डी.आर. शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता सहित, श्रीमती अनीता सिंह, अपीलकर्ता क्रमांक 3 - पुरुषोत्तम (दं.अ.संख्या 742/2004) **की ओर से**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री राकेश पांडेय एवं श्री दशरथ प्रजापति **अधिवक्ता**, अपीलकर्ता क्रमांक 4 - अशोक कुमार (दं.अ.संख्या 742/2004) **की ओर से**

श्री अभय तिवारी **अधिवक्ता**, अपीलकर्ता शिवधन (दं.अ.संख्या 933/2004) एवं अपीलकर्ता सीताराम (दं.अ.संख्या 934/2004) **की ओर से**

श्री डी.के. ग्वालरे **अधिवक्ता**, सहायक लोक अभियोजक / शासकीय अधिवक्ता, राज्य **की ओर से**

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18/02/2010 को उद्घोषित

निम्नलिखित निर्णय टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश द्वारा **उद्घोषित** किया :

चूंकि ये दांडिक अपीलें दिनांक 30.07.2004 के दोषसिद्धि और दंडादेश के एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, अत: इन्हें इस एक ही निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. इन अपीलों में दिनांक 30.07.2004 को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), सूरजपुर द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 458/2002 में पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को विधिविरुध्द जमाव बनाने, घातक हथियारों के साथ विधिविरुध्द जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अशोक कुमार सिंह की हत्या करने, और सामान्य उद्देश्य सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अमर सिंह की हत्या का प्रयास करने के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात, अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 302/149 और 307/149 के अंतर्गत दोषी ठहराया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 148 के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास, धारा 302/149 के अंतर्गत आजीवन कारावास और धारा 307/149 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया तथा प्रत्येक को 2000/- रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया, व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दोषसिद्धि की इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के और अपीलार्थियों - जीत राम और हीराधन को निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने में उपलब्ध बचाव पर विचार किए बिना, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थियों को पूर्वोक्त रूप में दोषसिद्ध और दंडित किया है और इस प्रकार अवैधता की है।

4. अभियोजन पक्ष के मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 27.07.2002 को लगभग सुबह 8:00 बजे घायल अमर सिंह और मृतक अशोक कुमार सिंह ग्राम मासगा स्थित अपने खेत में हल जोत रहे थे। अमर सिंह की पुत्री अ.सा.-1 कु. फुलमती भी वहाँ उपस्थित थी। एक खोलोराम ने भी खेत जोतना शुरू किया, तब अ.सा.-1 कु. फुलमती ने उसे रोका, जिस पर खोलोराम अपने घर की ओर चला गया। कुछ समय बाद, अपीलार्थी — जीत राम,

सीताराम, शिवधन, हीराधन, भगतराम, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार, नरसिंह और धनुषधारी, खोलोराम के साथ, लाठियों, कुल्हाड़ी और धातु की चाकू से लैस होकर खेत में आए और अमर सिंह और अशोक कुमार सिंह (मृतक) को घेर लिया तथा लाठियों, कुल्हाड़ी और धातु की चाकू से उन पर हमला किया। उन्होंने दोनों शिकायतकर्ताओं का पीछा भी किया और घातक चोट पहुँचाते हुए उन पर हमला किया। अ.सा.-1 कु. फुलमती ने अपने भाई अशोक कुमार को उसके घर ले गई। अंततः अशोक कुमार की मृत्यु हो गई। उसके पिता अमर सिंह उन्हें आई घातक चोटों के कारण बेहोश अवस्था में थे। अ.सा.-1 कु. फुलमती उन्हें थाना ले गई और एफ.आई.आर. (प्र..पी/2) और मर्ज सूचना (प्र.पी/1) दर्ज कराई। अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ और गवाहों को बुलवाने के बाद, अशोक कुमार के शव का समीक्षा (प्र.पी/31) तैयार किया गया। मौके से रक्तरंजित मिट्टी और साधारण मिट्टी को (प्र.पी/29) के तहत जब्त किया गया। अशोक कुमार के शव को शवपरीक्षा के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रतापपुर भेजा गया। शवपरीक्षा अ.सा.-14 डॉ. रामलाल ठाकुर द्वारा (प्र.पी/45) के तहत की गई और उन्होंने निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. दाएं जांघ पर सूजन के साथ विकृति और 4 x 2 सेमी. के 4 खरोंच।
2. दाएं जांघ पर सूजन के साथ 4 x 2 सेमी. के 4 खरोंच ।
3. बाएं पैर पर सूजन के साथ 4 x 2 सेमी. के कई खरोंच ।
4. दाएं पार्श्विक क्षेत्र (सिर के दाएं हिस्से) पर 3 x 2 x 1 सेमी. का कटा घाव।
5. छाती पर 6 x 2 सेमी. के खरोंच।

आंतरिक परीक्षा पर, निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. दाएं पार्श्विक हड्डी का फ्रैक्चर और मस्तिष्क पदार्थ में रक्त मौजूद था।
2. मस्तिष्क संकुलित (Congested) था।

3. दाएं जांघ की हड्डी (Femur) और दाएं टिबिया (Tibia) का फ्रैक्चर।

अशोक कुमार की मृत्यु का कारण सिर में लगी चोट के परिणामस्वरूप हुई और मृत्यु मानव-वध (Homicidal) प्रकृति की थी।

घायल अमर सिंह, जो बेहोश अवस्था में थे, को भी चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया जहाँ उनकी जांच अ.सा.-14 डॉ. रामलाल ठाकुर द्वारा (प्र.पी/32ए) के तहत की गई और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. बाईं आंख पर 3 x 2 x 1 सेमी. का एक फटा घाव।
2. बाएं भौंह पर 3 x 1 x 1 सेमी. का फटा घाव।
3. दाएं गाल पर 1 x 1 सेमी. का फटा घाव।
4. बाएं कान की पल्लव पर 1 x 1/2 सेमी. का कटा घाव।
5. दाएं और बाएं पैर पर हड्डी में विकृति और फ्रैक्चर के साथ 3 x 2 सेमी. के 6 खरोंच।
6. दाएं और बाएं पैर पर सूजन और हड्डी में फ्रैक्चर विकृति के साथ 3 x 2 सेमी. के 7 खरोंच।
7. दाएं टिबिया और फाइबुला का फ्रैक्चर।
8. बाएं टिबिया और फाइबुला का फ्रैक्चर।
9. रेडियस और अल्ना हड्डी का फ्रैक्चर (हड्डी तक गहरा)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

डॉ. ए.के. जैन द्वारा (प्र.पी/30) के तहत एक्स-रे लिया गया और दाएं टिबिया व फाइबुला, बाएं टिबिया व फाइबुला, तथा दाएं व बाएं अल्ना का फ्रैक्चर पाया गया।

5. अन्वेषण के दौरान, मृतक अशोक कुमार के वस्त्रों वाला एक मुहरबंद पैकेट जब्त किया गया। अपीलार्थी जीत राम को हिरासत में लिया गया। उसने लाठी के बारे में प्रकटीकरण

कथन (प्र.पी/5) दिया। वही (लाठी) अपीलार्थी जीत राम के बताये अनुसार (प्र.पी/9) के तहत बरामद की गई। अपीलार्थी सीताराम ने भी लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन (प्र.पी/6) दिया और वही उसके बताये अनुसार (प्र.पी/10) के तहत उसे जब्त की गई। अपीलार्थी शिवधन का प्रकटीकरण कथन (प्र.पी/7) के तहत लिया गया, जिसके आधार पर कुल्हाड़ी (प्र..पी/11) के तहत बरामद की गई। अपीलार्थी हीराधन ने भी लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन (प्र.पी/8) दिया और वही हीराधन के प्रकटीकरण कथन (प्र.पी/12) के तहत बरामद की गई। एक कुल्हाड़ी पुरुषोत्तम से (प्र.पी/13) के तहत बरामद की गई, लाठियाँ अपीलार्थियों - अशोक कुमार, धनुषधारी, नरसिंह और भगतराम से (प्र..पी/14, पी/15, पी/16 और पी/17) के तहत बरामद की गईं। आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी/18 से प्र..पी/26) के तहत गिरफ्तार किया गया। स्थल का नक्शा (प्र..पी/33) के तहत तैयार किया गया। वस्तुओं को परीक्षण के लिए (प्र..पी/35 से पी/43) के तहत भेजा गया और उनका परीक्षण (प्र.पी/35ए से प्र..पी/43ए) के तहत की गई। घायल अमर सिंह का बेड हेड टिकट (प्र.पी/44) के तहत जब्त किया गया। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए (प्र.पी/45) के तहत भेजा गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षिप्त में 'संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। अन्वेषण पूरा होने के बाद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरजपुर के समक्ष अभियोग पत्र दायर किया गया, जिसने बदले में मामले को सत्र न्यायालय को उपार्पित कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले का विचारण करने के लिए उसे अंतरण पर प्राप्त किया।

7. अपीलार्थियों के दोष सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल 14 गवाहों का परीक्षण कराया । अभियुक्त व्यक्तियों की संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा की गई जहाँ उन्होंने उनके विरुद्ध मौजूद परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता का दावा किया और झूठे फंसाए जाने का दावा किया गया। अपीलार्थी — जीत राम और हीराधन ने निजी प्रतिरक्षा

के अधिकार का प्रयोग करने का एक विशेष बचाव लिया है कि शिकायतकर्ता उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे और जब वे उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने अशोक कुमार सिंह और अमर सिंह पर हमला किया और उसके बाद उनके द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई। अन्य आरोपी व्यक्तियों ने यह बचाव लिया है कि उन्हें प्रश्नगत अपराध में झूठा फंसाया गया है और शिकायतकर्ता पक्ष अन्य व्यक्तियों की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले थे और उनकी अपीलार्थियों से दुश्मनी थी। बचाव पक्ष ने ब.सा.-1 जयलाल यादव का भी परीक्षा कराया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में गवाही दी कि घटना वाले दिन कु. फुलमती उनकी दुकान पर आई और उन्हें बताया कि 'चेरवाओं' ने उसके पिता पर हमला किया है और जीत राम व हीराधन के नाम बताए। वह रो रही थी और यह भी बताया कि उसे यह घटना एक प्रजापति के माध्यम से पता चली। अमर सिंह ने भी उन्हें बताया कि उन पर जीत राम और हीराधन ने हमला किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. हमने सभी दांडिक अपीलों में अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं की तर्कें सुनी हैं, आपेक्षित निर्णय तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया ।

9. श्रीमती संगीता मिश्रा एवं श्रीमती उषा चंद्राकर, अपीलार्थी — जीत राम एवं हीराधन के अधिवक्ताओं ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलार्थी जीत राम एवं हीराधन विवादित भूमि के मालिक एवं कब्जाधारी हैं। घटना वाले दिन, अमर सिंह एवं अशोक कुमार सिंह भूमि जोत रहे थे और जब एक खोलोराम भूमि जोतने के लिए खेत में गया, तो अमर सिंह ने उसे रोका, जिस पर खोलोराम लौट गया और पुनः अपीलार्थी जीत राम एवं हीराधन के साथ खेत में आया। उन्हें देखकर, अमर सिंह एवं अशोक कुमार सिंह ने अपीलार्थी जीत राम एवं हीराधन से झगड़ा किया। इस पर, वर्तमान अपीलार्थी जीत राम एवं हीराधन ने शिकायतकर्ताओं अमर सिंह एवं अशोक कुमार का पीछा किया और उन पर हमला किया। अपीलार्थियों की अधिवक्ताओं ने आगे तर्क दिया कि जब शिकायतकर्ताओं ने अपीलार्थियों को चोट पहुँचाई,

तो उन्होंने अपने लिए उपलब्ध निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ताओं पर हमला भी किया। अपीलार्थियों द्वारा किया गया हमला जानबूझकर नहीं था और केवल अपनी जमीन को शिकायतकर्ताओं से बचाने के लिए था।

10. श्रीमती शर्मिला सिंघई, श्री नीरज मेहता, श्री डी.आर. शर्मा (श्रीमती अनीता सिंह के साथ), श्री राकेश पांडेय एवं श्री दशरथ प्रजापति तथा श्री अभय तिवारी, अन्य अपीलार्थियों - धनुषधारी, भगत राम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार, शिवधन एवं सीताराम के अधिवक्ताओं ने जोरदार तर्क दिया कि उपर्युक्त अपीलार्थी खेत में नहीं गए थे और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पूर्व विवाद के आधार पर ही अपीलार्थियों को प्रश्नगत अपराध में झूठे फंसाया गया है। शिकायतकर्ता अमर सिंह और अशोक कुमार सिंह आदतन दूसरों की जमीन हड़पने और उस पर अतिक्रमण करने वाले थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने **हैमलेट उर्फ सासी एवं अन्य बनाम केरल राज्य** [1]के मामले का अवलंब दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधिविरुध्द जमाव के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 5 होनी आवश्यक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि घातक हथियारों के प्रयोग के अभाव में और गिरने से मृत्यु होने की स्थिति में, सभी आरोपियों का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के अंतर्गत आता है। अधिवक्ताओं ने **बसिष्ठ रॉय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[2] के मामले पर भी अवलंब लिया , जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि स्पष्ट कार्य या चिकित्सकीय एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के मामले में, कथित लाठी से कथित चोट के अभाव और विविध बयान की स्थिति में, केवल उस व्यक्ति की दोषसिद्धि स्थायी होती है जिसने वास्तव में घातक चोट पहुँचाई हो, जबकि शेष आरोपी दोषमुक्ति के हकदार होते हैं। उन्होंने **राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**[3] के मामले पर भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि एक व्यक्ति द्वारा जीवन के महत्वपूर्ण अंगों पर डंडे से घातक

[1] 2003 AIR SCW 4178
[2] AIR 2003 SC 1439
[3] AIR 2009 SC 1

चोट पहुँचाई गई हो और दूसरे व्यक्ति द्वारा गैर-महत्वपूर्ण अंगों पर लाठी से चोट पहुँचाई गई हो, और यदि अपीलार्थी को नियंत्रित कर निहत्था कर दिया गया हो तथा उसके बाद वह केवल भाग गया हो, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 की सहायता से धारा 302 के अंतर्गत आरोपी की दोषसिद्धि स्थायी नहीं होती और ऐसा अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 326/34 के अंतर्गत दंडनीय होता है। अधिवक्ताओं ने आगे **धन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य** [4]के मामले का अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभियोजन साक्षी पुलिस के समक्ष दिए गए अपने बयान के दौरान आरोपी द्वारा निभाई गई किसी भूमिका का उल्लेख नहीं करता, तो विचारण के दौरान साक्ष्य में किए गए सुधार के आधार पर आरोपी को हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने **रुद्रप्पा रामप्पा जैनपुर एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य** [5]के मामले का अवलंब लिया, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा कुल्हाड़ी के कुंद हिस्से से चोट पहुँचाना तथा अन्य अभियुक्तों द्वारा, जो भीड़ के सदस्य थे, मृतक को घसीटना, यह दर्शाता है कि विधिविरुध्द जमाव का सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या करना था। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने **राधा मोहन सिंह @ लाल साहब एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [6]के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि घटना दांडिक मामले में न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने से व्यक्तियों को रोकने के कारण हुई हो और अभियुक्तों द्वारा पूरी दुश्मनी के आधार पर अचानक हमला किया गया हो, तो घातक चोट पहुँचाने वाला अभियुक्त हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, न कि शेष अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से, हालाँकि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 326/149 के अंतर्गत उत्तरदायी होंगे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने **राम स्वरूप एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य** [7]के मामले का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[4] AIR 1996 SC 2478
[5] 2004 (3) CRIME 248 SC
[6] 2006 (2) SBR 93
[7] AIR 2004 SC 2943

भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अन्वेषण के दौरान दिए गए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज बयानों को न्यायालय द्वारा अत्यधिक महत्व देना उचित नहीं है तथा अभियुक्त प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के आपसी साक्ष्य के बीच तात्विक विरोधाभास विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। **बिष्णु प्रसाद सिन्हा एवं अन्य बनाम असम राज्य** [8]के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोपी द्वारा दिया गया स्वीकारोक्ति को पुष्टि की आवश्यकता होती है और यह आमतौर पर दोषसिद्धि का आधार नहीं माना जाएगा, हालाँकि यदि इसे सत्य और स्वैच्छिक पाया जाए तो दोषसिद्धि इसी पर आधारित की जा सकती है। उन्होंने **खंबम राजा रेड्डी एवं अन्य बनाम पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय** [9] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यक्षदर्शी और चिकित्सकीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास की स्थिति में, प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए और यदि उन्हें विश्वसनीय पाया जाता है, तो केवल चिकित्सकीय साक्ष्य से असंगत होने के आधार पर उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं ने **सलीम एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य** [10]के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि बलपूर्वक कब्जा करने की स्थिति में निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है और यदि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का अतिक्रमण किया जाता है, तो आरोपी की दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग I के अंतर्गत होगी। अंत में, अधिवक्ता ने **राधू बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[11] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि माता-पिता के कहने पर बेटी द्वारा बलात्कार का झूठा आरोप लगाना कोई असामान्य बात नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[8] (2007) 11 SCC 467
[9] (2006) 11 SCC 239
[10] (2009) 2 SCC (Cri) 222
[11] (2008) 2 SCC (Cri) 207

12. इसके विपरित, राज्य पक्ष के सहायक लोक अभियोजक श्री डी.के. ग्वालरे ने अपील का जोरदार विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी अ.सा.-1 कु. फुलमती और अ.सा.-2 अमर सिंह के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि अपीलार्थी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी जमीन जोतने में रोड़ा अटकाने और उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया और उस घटना में उन्होंने अशोक कुमार सिंह की मृत्यु सहित घातक चोटें पहुँचाई। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह अवधारित कि अपीलार्थियों द्वारा विधिविरुध्द जमाव का गठन किया गया और उसके बाद उन्होंने उक्त अपराध किया है, अपीलार्थियों को पूर्वोक्त रूप में सही ढंग से दोषसिद्ध और दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलार्थियों के अधिवक्ताओं तथा सहायक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने के लिए, हमने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिक्षा किया है। वर्तमान मामले में, मृतक अशोक कुमार के शरीर पर मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानव-वधजनित मृत्यु और अमर सिंह के शरीर पर घातक चोट को अपीलार्थियों द्वारा तथ्यतः विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा यह अ.सा.-14 डॉ. रामलाल ठाकुर के साक्ष्य, शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्र.-पी/45 और चोट प्रतिवेदन प्र.-पी/32ए द्वारा भी स्थापित है। अशोक कुमार की मृत्यु मानव-वध प्रकृति की थी। अमर सिंह के शरीर पर अनेक चोटों से पता चला कि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर पाए गए। चेहरे पर भी एक चोट पाई गई और अमर सिंह के शरीर पर पाई गई अनेक चोटों को घातक बताया गया।

14. प्रश्नगत अपराध में अपीलार्थियों की संलिप्तता के संबंध में, दोषसिद्धि अ.सा.-1 कु. फुलमती और अ.सा.-2 अमर सिंह (घायल अ.सा.) के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है, जिनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता। अ.सा.-2 अमर सिंह ने अपनी गवाही में बयान दिया कि वे और उनके बेटे अशोक कुमार सिंह अपने कब्जे वाले खेत में हल जोत रहे थे।

उस समय खोलोराम खेत में आया और खेत जोतना शुरू कर दिया, तो उन्होंने आपत्ति जताई। अपीलार्थी भी खोलोराम के साथ उपस्थित थे और लौट गए। जब अशोक कुमार सिंह खेत में बैठा हुआ था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि अभियुक्त व्यक्ति उन पर हमला करने के लिए उनके खेत की ओर आ रहे हैं। तब, वह और उसका बेटा स्थल से भाग गए। अपीलार्थी — जीत राम, सीताराम और हीराधन ने उनका पीछा किया और अन्य अपीलार्थी उनका पीछा करने के लिए दूसरे कोने की ओर चले गए। जब वे 'बेशरम' की झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे, तो अपीलार्थी — पुरुषोत्तम, अशोक कुमार, धनुषधारी और एक शिवनारायण ने उन पर हमला किया और उन्हें घातक चोटें पहुँचाईं। इसके बाद, जीत राम, सीताराम, हीराधन और नरसिंह तथा भगत भी आए और उन पर हमला किया। जीत राम, सीताराम, हीराधन और शिवधन के हाथों में कुल्हाड़ी और लाठी थी। पुरुषोत्तम के हाथ में कुल्हाड़ी थी और शेष व्यक्तियों के हाथों में कुल्हाड़ी थी। चोटें पहुँचाने के बाद, अपीलार्थी स्थल से भाग गए। उन्होंने यह भी गवाही दी कि शिवनारायण ने कहा कि दो व्यक्तियों को पुलिस थाना जाना चाहिए और किसी हमलावर का नाम नहीं बताया। अ.सा.-1 कु. फुलमती साइकिल से अशोक कुमार सिंह को उसके घर ले आई और एफ.आई.आर. तथा मर्ग सूचना (प्र.पी/1 और प्र.पी/2) दर्ज कराई। उसने आगे गवाही दी कि वह भी घटना के समय उपस्थित थी और सभी अभियुक्त व्यक्ति उसके खेत में आए और उसके पिता और भाई पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया और स्थल से भाग गए, जिसके कारण उसके भाई अशोक कुमार सिंह की तत्काल मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने इस अभियोजन साक्षियों का विस्तृत प्रतिपरिक्षण किया है। उसने कंडिका 24 में स्वीकार किया कि सीताराम और अन्य लोग उसके भाई और पिता का पीछा कर रहे थे और जायसवाल और अन्य तथा संभवतः अपीलार्थी — पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी झाड़ी में छिपे हुए थे। अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 31 में, उसने बताया कि पुलिस ने उसके पिता का बयान पुलिस थाना में दर्ज किया था। धनुषधारी का नाम एफ.आई.आर. प्र.पी/2 में शामिल नहीं है। अपनी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रतिपरीक्षण की कंडिका 43 में, अ.सा.-1 कु. फुलमती ने स्वीकार किया कि खोलोराम सरकारी जमीन जोत रहा था जो जीत राम और उसके भाइयों के नाम दर्ज थी और बंदोबस्त के समय उसके पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने नामांतरण कराके अपना नाम सफलतापूर्वक दर्ज करा लिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि खोलोराम उस जमीन पर फसल बो रहा था जो उन्होंने पहले नहीं बोई थी। उसने स्वीकार किया कि खोलोराम जीत राम और उसके भाई की ओर से जमीन जोत रहा था। उसने कंडिका 46 में इस सुझाव से इनकार किया कि केवल जीत राम और हीराधन खेत में आए थे। बचाव पक्ष ने अ.सा.-2, घायल अ.सा. अमर सिंह की भी विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है। उन्होंने कंडिका 17 में विशेष रूप से बताया कि पहले जीत राम, सीताराम, हीराधन और शिवधन ने उनका पीछा किया लेकिन यह तथ्य पुलिस बयान प्र.डी/2 में शामिल नहीं है। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 31 में बताया कि पहले उन पर पुरुषोत्तम, अशोक कुमार, शिवनारायण और धनुषधारी ने हमला किया और फिर जीत राम, सीताराम, शिवधन, हीराधन, और नरसिंह तथा भगत ने उन पर हमला किया। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 43 में, उन्होंने स्वीकार किया कि सरकारी जमीन से संबंधित मामला, जो उनके और पुरुषोत्तम के बीच निर्णीत हुआ था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पटवारी और पंचायत के सदस्यों ने जमीन का माप लिया और उन्हें सूचित किया कि वह उनके कब्जे का हिस्सा नहीं थी। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 46 में, उन्होंने स्वीकार किया कि जमीन का विवाद उनके और जीत राम, सीताराम, हीराधन और शिवधन के बीच था। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका 48 में आगे स्वीकार किया कि उन्होंने पहले भी उपर्युक्त अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 54 में यह भी स्वीकार किया कि उनके और नरसिंह व भगत के बीच जमीन को लेकर पूर्व विवाद था। अ.सा.-3 रामचंद्र जायसवाल ने अपने साक्ष्य में गवाही दी कि शिवनारायण आम के पेड़ के पास जीत राम, सीताराम, हीराधन और पुरुषोत्तम के साथ उपस्थित था और उसने जीत राम और अन्य को जाने और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अमर सिंह और अशोक सिंह को पीटने का निर्देश दिया। अ.सा.-4 शिवप्रसाद ने भी गवाही दी कि अमर सिंह और अशोक सिंह भाग रहे थे और जीत राम, सीताराम, हीराधन और शिवधन लाठियों के साथ उनका पीछा कर रहे थे। लाठियाँ और कुल्हाड़ी अपीलार्थियों के बताये अनुसार बरामद की गईं लेकिन लाठी और कुल्हाड़ी पर खून नहीं पाया गया। अभियोजन पक्ष ने प्रश्नगत अपराध में लाठी और कुल्हाड़ी एकत्र नहीं की थी लेकिन पुलिस ने कुल्हाड़ी और लाठी पेश की थी।

15. अ.सा.-1 कु. फुलमती और अ.सा.-2 अमर सिंह रिस्तेदार साक्षी हैं। फुलमती अ.सा.-1 की पुत्री और मृतक अशोक कुमार सिंह की बहन है। कु. फुलमती और अमर सिंह के साक्ष्य को केवल रिश्ते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। रिश्तेदार साक्षी के साक्ष्यात्मक मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, राजेश कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (उपरोक्त 3) के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधि में कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य साक्षी के रूप में माना जाए। इसके विपरीत, जब पक्षपात का तर्क उठाया जाता है, तो यह कारण दिखाना होगा कि गवाहों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अभियुक्त को झूठे फंसाने का कोई कारण था। रिश्तेदार वे व्यक्ति होते हैं जो वास्तविक दोषी को छोड़ने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे फंसाने से हिचकिचाते हैं। अ.सा.-1 और अ.सा.-2 के न्यायालय में दर्ज बयानों और अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों में विरोधाभास, विलोपन और अतिशयोक्तियां हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया बयान एक संक्षिप्त बयान होता है और न्यायालय में दिया गया बयान एक विस्तृत बयान होता है। दोनों साक्ष्यों में विलोपन और विरोधाभास तथा अतिशयोक्तियां अप्राकृतिक नहीं होंगी। यहां तक कि विलोपन, विरोधाभास और अतिशयोक्ति के आधार पर गवाहों के साक्ष्य को एकदम से (इन फोटो) खारिज नहीं किया जा सकता। "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" (एक बात में झूठा, सब बातों में झूठा) के सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारत में लागू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं होता। न्यायालय को अतिशयोक्तियों और असंभावनाओं की भूसी से स्वीकार्य सत्य के दानों को अलग करना आवश्यक है, जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता या जिन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसी प्रश्न पर **लक्ष्मण एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य** [12]के मामले में विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि गवाहों को पूरी तरह से झूठा नहीं ठहराया जा सकता और उनकी गवाही को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके बयानों के कुछ हिस्से प्रमाणित रूप से गलत या संदिग्ध हों। सुसंगत अंश इस प्रकार है:

"इससे पहले कि हम साक्ष्य पर और चर्चा करें, हम यह अवलोकन कर सकते हैं कि प्रोफेसर मुन्स्टरबर्ग ने "ऑन द विटनेस स्टैंड" (पृ. 51), "लॉ एंड मॉडर्न माइंड" (देखें: 1949 संस्करण पृ. 106) नामक पुस्तक में उन प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं जिनमें अचानक अप्रत्याशित पूर्व-नियोजित घटनाओं का उन व्यक्तियों के सामने अभिनय किया गया था जिनसे तब, तुरंत बाद, यह लिखने के लिए कहा गया था कि उन्होंने क्या देखा और सुना था। आश्चर्यजनक परिणाम यह था:

'उन लोगों के मुंह में ऐसे शब्द डाल दिए गए जो पूरी छोटी घटना के दौरान मूक दर्शक रहे थे; मुख्य भाग लेने वालों के लिए ऐसे कार्यों को जिम्मेदार ठहराया गया जिनका कोई सबसे मामूली निशान भी मौजूद नहीं था; और दुखांत-हास्य के आवश्यक हिस्सों को कई गवाहों की स्मृति से पूरी तरह से हटा दिया गया'।

इसलिए, प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला; 'हम कभी नहीं जानते, या कल्पना करते हैं'। इसलिए, गवाहों को पूरी तरह से झूठा नहीं ठहराया जा सकता और उनकी गवाही को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता, भले ही उनके बयानों के कुछ हिस्से प्रमाणित रूप से गलत या संदिग्ध हों। बुद्धिमान न्यायाधीश अतिशयोक्तियों और असंभावनाओं की भूसी से स्वीकार्य सत्य के दानों को अलग कर सकता है,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[12] AIR 1974 SC 308

जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया जा सकता या जिन पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। आवश्यक रूप से अपूर्ण मानवीय साक्ष्य के मूल्यांकन में, "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" के सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू करने से इनकार करना व्यवहारिक ज्ञान सम्मत है।"

16. **गोरले एस. नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य** [13]के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि बड़ी संख्या में सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति मात्र अन्य अभियुक्तों को स्वतः (पर से) दोषमुक्ति का हकदार नहीं बनाती और न्यायालय को असत्य से सत्य अलग करना आवश्यक है। इसी प्रकार, **इसर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** [14]के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" (एक बात में झूठा, सब बातों में झूठा) का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता और गवाहों को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रश्न पर **दलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य** [15]के मामले में विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" अर्थात एक बात में झूठा, हर बात में झूठा - को भारत में विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है - न ही यह सिद्धांत विधि के नियम का दर्जा प्राप्त कर पाया है। सुसंगत अंश इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" के सिद्धांत की प्रयोज्यता पर आते हुए, यहां तक कि यदि साक्ष्य का बड़ा हिस्सा अपर्याप्त पाया जाता है, तो शेष हिस्सा किसी अभियुक्त का दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है, और बड़ी संख्या में अन्य सह-अभियुक्तों की दोषमुक्ति के बावजूद, उसकी दोषसिद्धि कायम रखी जा सकती है। हालांकि, जहां बड़ी संख्या में अन्य व्यक्ति अभियुक्त हैं, वहां न्यायालय को साक्ष्य की सावधानीपूर्वक मुल्यांकन करनी होगी। असत्य से सत्य अलग करना न्यायालय का कर्तव्य है। जहां असत्य को सत्य से अलग किया जा

[13] AIR 2004 SC 1169
[14] AIR 2005 SC 249
[15] 2008 AIR SCW 2389

सकता है, वहां न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह किसी अभियुक्त को इस तथ्य के बावजूद दोषी ठहराए कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का दोष सिद्ध करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त पाया गया है। किसी विशेष तात्विक साक्षी या तात्विक विवरण की मिथ्यता उसे शुरू से अंत तक बर्बाद नहीं कर देगी। "फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस" का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता और गवाहों को झूठा नहीं ठहराया जा सकता।

10. "**फाल्सस इन उनो फाल्सस इन ओम्निबस**" (एक बात में झूठा, हर बात में झूठा) के सिद्धांत को भारत में विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में सामान्य स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, न ही यह सिद्धांत विधि के नियम का दर्जा प्राप्त कर पाया है। यह केवल एक सावधानी का नियम है। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि ऐसे मामलों में साक्ष्य को नज़रअंदाज किया जा सकता है, यह नहीं कि उसे नज़रअंदाज किया ही जाना चाहिए। यह सिद्धांत केवल साक्ष्य के वजन के प्रश्न से जुड़ा है जिसे न्यायालय किसी दी गई परिस्थितियों में लागू कर सकती है, लेकिन यह वह नहीं है जिसे 'साक्ष्य का अनिवार्य नियम' कहा जा सके। (निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1957 एससी 366 देखें)। केवल इस आधार पर कि कुछ अभियुक्त व्यक्ति दोषमुक्त कर दिए गए हैं, हालांकि प्रत्यक्ष गवाही के संदर्भ में उन सभी के विरुद्ध साक्ष्य एक समान था, यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में नहीं निकलता कि जिन्हें दोषी ठहराया गया है, उन्हें भी दोषमुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय के लिए उन अभियुक्त, जिन्हें दोषमुक्त किया गया है, को उन अभियुक्तों से अलग करने का विषय हमेशा खुला रहता है जिन्हें दोषी ठहराया गया है (गुरुचरण सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1956 एससी 460 देखें)। यह सिद्धांत खासकर भारत में एक खतरनाक सिद्धांत है क्योंकि यदि किसी गवाह के पूरे बयान को इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि वह गवाह कुछ मामलों में स्पष्ट रूप से असत्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बोल रहा था, तो यह आशंका है कि दांडिक न्याय का प्रशासन पूरी तरह से ठप्प हो जाएगा। गवाह मुख्य रूप से सच्ची कहानी में कल्पित विवरण दिए बिना नहीं रह सकते। इसलिए, प्रत्येक मामले में यह मूल्यांकन करना होगा कि साक्ष्य किस हद तक स्वीकार करने योग्य है, और केवल इस आधार पर कि कुछ मामलों में न्यायालय इसे किसी गवाह की गवाही पर भरोसा करने के लिए अपर्याप्त समझती है, यह आवश्यक रूप से विधिक तर्क के रूप में नहीं निकलता कि उसे हर मामले में भी नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। साक्ष्य को सावधानीपूर्वक छानना होगा। उपर्युक्त कथन एक ठोस नियम नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शायद ही कभी ऐसे गवाह के पार आता है जिसके साक्ष्य में असत्य का एक दाना भी न हो या कम से कम अतिशयोक्ति, कल्पित विवरण या अलंकरण न हो। (सहराब पुत्र बेली नायता एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (1972) 3 एसएस 751 और उमर अहीर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1965 एससी 277 देखें)। एक सुंदर रूपक के माध्यम से, अनाज को भूसी से, सत्य को असत्य से अलग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां सत्य को असत्य से अलग करना संभव नहीं है, क्योंकि अनाज और भूसी अटूट रूप से मिश्रित हैं, और अलग करने की प्रक्रिया में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवश्यक विवरणों को उनके संदर्भ और पृष्ठभूमि से पूरी तरह से अलग करके एक बिल्कुल नया मामला पुनर्निर्मित करना पड़े, तो एकमात्र उपलब्ध विकल्प साक्ष्य को पूरी तरह से (इन टोटो) खारिज करना है। (ज़वीलोए एरियल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1954 एससी 15; और बलाका सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1975 एससी 1962 देखें)। जैसा कि इस न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम श्रीमती कल्कि एवं अन्य, एआईआर 1981 एससी 1390 में अवधारित किया है, साक्ष्य में सामान्य विसंगतियां वे हैं जो अवलोकन की सामान्य त्रुटियों, समय बीतने के कारण स्मृति की सामान्य त्रुटियों, मानसिक स्थिति जैसे कि घटना के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समय सदमे और भय के कारण होती हैं और ये हमेशा वहां रहती हैं चाहे कोई गवाह कितना भी ईमानदार और सच्चा क्यों न हो। तात्विक विसंगतियां वे हैं जो सामान्य नहीं हैं और एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षित नहीं हैं। न्यायालयों को उस श्रेणी को चिन्हित करना होगा जिसमें किसी विसंगति को वर्गीकृत किया जा सकता है। जहां सामान्य विसंगतियां किसी पक्ष के मामले की विश्वसनीयता को नहीं खत्म करतीं, वहीं तात्विक विसंगतियां ऐसा करती हैं।"

17. उपर्युक्त कसौटी के आलोक में, यदि हम अ.सा.-1 कु. फुलमती और अ.सा.-2 अमर सिंह (घायल साक्षी) के साक्ष्य की जांच करें, तो यह दर्शाता है कि विवादित भूमि अमर सिंह या उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं थी। उनके पास घटनास्थल पर कोई जमीन नहीं थी। जिस जमीन पर वे फसल बो रहे थे और जोत रहे थे, वह उनके स्वामित्व या कब्जे में नहीं थी, बल्कि यह अपीलार्थियों — जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन के कब्जे में थी, जो कैलाराम के पुत्र हैं। घटना तब हुई जब उन्होंने जमीन जोतने से रोका, लेकिन खोलोराम अपीलार्थियों - जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन की ओर से जमीन जोतने के लिए खेत में गया। जब घायल अमर सिंह और उनके बेटे अशोक कुमार सिंह ने खोलोराम को जोतने से रोका, तो ये 4 अपीलार्थी कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर खेत में गए। साक्ष्य के अनुसार, अन्य अपीलार्थियों के हाथों में भी लाठियाँ थीं। अमर सिंह की चोट प्रतिवेदन से पता चला कि अमर सिंह के शरीर पर हाथ-पैरों में खरोंच और फ्रैक्चर सहित तीन कटे घाव थे। अशोक कुमार के शरीर पर पाई गई चोट कटा घाव और खरोंच थी। यह दर्शाता है कि तेज धार वाले हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था जो उपर्युक्त 4 अपीलार्थियों के पास थे। इन गवाहों ने यह गवाही देने का प्रयास किया है कि अपीलार्थी दो अलग-अलग स्थानों पर उपस्थित थे और उन्होंने दो अलग-अलग ओर से उन पर हमला किया। दोनों गवाहों ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि अपीलार्थियों — भगत, नरसिंह,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी के साथ विवादित भूमि को लेकर कोई दुश्मनी नहीं थी, हालांकि उनकी दूसरी जमीन को लेकर अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिंदुओं पर दुश्मनी थी। अमर सिंह द्वारा झगड़े का तात्कालिक कारण केवल अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, हीराधन, शिवनारायण के साथ था, न कि अन्य के साथ। अपीलार्थियों — जीत राम और हीराधन ने संहिता की धारा 313 के तहत विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक अशोक और घायल अमर सिंह को चोट पहुँचाई है।

18. अमर सिंह और कु. फुलमती द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अपीलार्थियों की ओर से उद्धृत मामलों के सिद्धांतों के आलोक में विश्लेषण और सूक्ष्मता से जांच करने पर, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी — जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने स्पष्ट रूप से अमर सिंह और मृतक अशोक कुमार सिंह को चोटें पहुँचाई हैं, लेकिन इन गवाहों के बयान अन्य अपीलार्थियों जिनके नाम भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी है के विरुद्ध सकारात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त हैं। अपीलार्थियों - जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन से संबंधित साक्ष्य सुसंगत है और साक्षी-4 शिवप्रसाद, साक्षी-3 रामचंद्र के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है तथा इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि अपीलार्थी - जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शिकायतकर्ताओं के कार्य से प्रभावित हुए थे। अन्य अपीलार्थियों द्वारा अशोक कुमार और अमर सिंह को कोई चोट पहुँचाने का कोई अवसर नहीं था। यद्यपि यह दृढ़ संदेह है कि अपीलार्थी भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी ने अपराध किया है, लेकिन दृढ़ संदेह, हालाँकि, विधिक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता और अभियोजन पक्ष को संदेह की परछाई से परे मामला साबित करना आवश्यक है। साक्षी-1 और साक्षी-2 का साक्ष्य साक्षी-3 रामचंद्र जायसवाल और साक्षी-4 शिवप्रसाद के साक्ष्य से पुष्ट होता है और चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट होता है, जो यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने अमर सिंह और अशोक कुमार के शरीर पर चोटें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहुँचाई हैं, जबकि उनका साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी ने उपर्युक्त व्यक्तियों को चोटें पहुँचाई हैं। उपर्युक्त अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन द्वारा निभाई गई भूमिका और भाग स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि उन्होंने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में हुए मृतक और घायल साक्षी पर हमला किया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी घायल साक्षी अमर सिंह पर हमला किया। वर्तमान मामले में, अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, हीराधन और शिवधन से संबंधित सत्य को अतिशयोक्ति और असंभावनाओं से अलग किया जा सकता है और उस पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है।

19. हेतुक (मकसद) के संबंध में, जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त उद्धृत न्याय-निर्णयों में निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में अभिनिर्धारित किया गया है, कि यदि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के मामले में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया है, तो मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग II की श्रेणी में आ सकता है, इस आधार पर कि उन्होंने मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुँचाई बल्कि उन्होंने स्वयं को और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए चोट पहुँचाई। वर्तमान मामले में, साक्ष्य के अनुसार, दोनों गवाह यानी कु. फुलमती और अमर सिंह खेत जोत रहे थे जो उनके कब्जे में नहीं था और जब एक खोलोराम अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन की ओर से जमीन जोतने के लिए खेत में गया, तो उन्होंने उसे रोका और खोलोराम वापस चला गया और उपर्युक्त अपीलार्थियों के साथ खेत में लौट आया। इसके बाद, उपर्युक्त अपीलार्थी कुल्हाड़ी और लाठियाँ लेकर आए। साक्षी-2 अमर सिंह का साक्ष्य स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि जब मृतक अशोक कुमार सिंह ने देखा कि अपीलार्थी हथियारों से लैस होकर आ रहे हैं तो उसने अपने पिता यानी साक्षी-2 अमर सिंह को आगाह किया कि अभियुक्त व्यक्ति उन पर हमला कर सकते हैं, तब उन्होंने खेत जोतने का काम बंद कर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया और स्थल से भाग गए। अपीलार्थियों ने उनका पीछा किया और हमला किया और इस प्रकार चोटें पहुँचाईं। नक्शा प्र.-पी/3 स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि चोट पहुँचाने की अभिकथित घटना रास्ते में यानी उस खेत से 500 मीटर दूर हुई जहाँ घायल फसल जोत और बो रहा था। जब अपराधीअण /अतिक्रमणकारीगण यानी अमर सिंह और अशोक कुमार सिंह खेत छोड़कर भाग गए, तो उन्हें चोट पहुँचाने का, और वह भी पीछा करके, कोई अवसर नहीं था। यह वह मामला नहीं था जिसमें घायल फसल की चोरी कर रहे थे या खेत में कोई फसल खड़ी नहीं थी या उनके जीवन को कोई खतरा था। अभियुक्त व्यक्तियों को लोक प्राधिकारियों की सहायता भी उपलब्ध थी लेकिन लोक प्राधिकारियों से सहायता लेने का आश्रय लेने के बजाय, अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने घायल और मृतक का पीछा किया और उन्हें चोटें पहुँचाईं, जिन चोटों के परिणामस्वरूप अशोक कुमार सिंह की उसी दिन मृत्यु हो गई और उन्होंने अमर सिंह के पैर और हाथ तोड़ दिए, जो दर्शाता है कि अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने मृतक और घायल अमर सिंह को निर्दयतापूर्वक चोटें पहुँचाईं। अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन को मृतक और घायल साक्षी अमर सिंह पर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अत्यधिक हमला नहीं करना चाहिए था। उपर्युक्त परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने अशोक कुमार सिंह की मृत्यु की मात्रा तक का अपराधिक मानव-वध (culpable homicide) किया है और सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में अमर सिंह की हत्या का प्रयत्न भी किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के तहत आरोप विरचित नहीं किया था लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन ने सामान्य उद्देश्य को अग्रेशित करते हुए अपराध किया है। उन्हें मामले का बचाव करने के लिए उचित और पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था, इसलिए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के विशिष्ट आरोप के अभाव में किसी भी अपीलार्थी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, विचारण न्यायालय ने सभी अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 302/149 और 307/149 के अंतर्गत दोषी ठहराया है।

20. प्रस्तुत साक्ष्य की सूक्ष्म जाँच करने पर, केवल 4 अपीलार्थी जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन को अपराध के दोष के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। अतः, सभी अपीलार्थियों की भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 148 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया दंड कायम रखे जाने योग्य नहीं है, तथा अन्य सह-आरोपियों अर्थात भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी के साथ अपीलार्थियों जीत राम, सीताराम, शिवधन और हीराधन की धारा 302/149 और 307/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया दंड भी कायम रखे जाने योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपर्युक्त कारणों से, भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम और अशोक कुमार की ओर से दायर दांडिक अपील संख्या 742/2004 तथा अपीलार्थी धनुषधारी की ओर से दायर दांडिक अपील संख्या 721/2004 स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी की भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 302/149 और 307/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि और उसके तहत दिया गया दंड तदनुसार अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी भगतराम, नरसिंह, पुरुषोत्तम, अशोक कुमार और धनुषधारी को तत्काल स्वतंत्र किया जाए। यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यक नहीं हैं, तो उन्हें रिहा कर दिया जाए।

22. अपीलार्थी जीत राम की ओर से दायर दांडिक अपील संख्या 662/2004, सीताराम (सीताराम) की ओर से दायर दांडिक अपील संख्या 934/2004, हीराधन द्वारा दायर दांडिक अपील संख्या 663/2004 और शिवधन की ओर से दायर दांडिक अपील संख्या 933/2004 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। उनकी धारा 147 और 148 के अंतर्गत दोषसिद्धि

तदद्वारा अपास्त की जाती है, लेकिन उनकी धारा 307/149 और 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 307/34 में परिवर्तित किया जाता है, इस प्रभाव के साथ कि अपीलार्थी जीत राम, सीताराम (सीताराम), हीराधन और शिवधन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत आजीवन कारावास और धारा 307/34 के अंतर्गत सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है।

सही/ **सही /**

टी.पी. शर्मा **आर.एल. झांवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh